भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 157

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी में कमी से उपभोक्ताओं को लाभ"

157. **श्री एंटो एन्टोनी:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती का लाभ देश में कंपनियों और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं तक विधिवत पहुँचाया जाना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है;
(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या निगरानी तंत्र जारी किया है कि कंपनियाँ जीएसटी कटौती के अनुपात में अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतें कम करें और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को कंपनियों या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में विफल रहने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, जिसमें लगाए गए जुर्माने भी शामिल हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

<u>भाग (क) और (ख):</u>

(i) दिनांक 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया था। इसके बाद, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) दिनांक 22 सितंबर, 2025 से पहले और बाद में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और दवाओं सहित महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमत की निगरानी कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक विधिवत पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि जीएसटी दर में कटौती के बाद ये लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को विधिवत रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

(ii) इसके अलावा, कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाधान करने और जीएसटी लाभों को जारी करने पर बल देने के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित व्यापार संघों के साथ अध्यक्ष, सीबीआईसी के स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं थी। ऐसे व्यापारिक निकायों और संघों को सूचित किया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि दिनांक 22 सितंबर, 2025 से विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी के परिणामस्वरूप उनके सदस्य दर कटौती के पूरे लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान करें।

(iii) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 12.9.2025 और 13.9.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया कि दवाओं/फॉर्मूलेशन को बेचने वाली सभी निर्माता/विपणन कंपनियां दवाओं/फॉर्मूलेशन (चिकित्सा उपकरणों सहित) के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित करेंगी।

(iv) उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 18 सितंबर, 2025 को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि निर्माता/पैकर्स/आयातक/उनके प्रतिनिधि दिनांक 22 सितंबर, 2025 से पहले निर्मित बिना बिके पैकेजों और उनके पास रखे पैकेंजों, पर स्वेच्छा से अतिरिक्त संशोधित मूल्य स्टिकर लगाएं, बशर्ते पैकेज पर मूल मूल्य घोषणा बाधित न हो।

(v) प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सीबीआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) आदि के माध्यम से जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के बारे में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाए गए।

<u>भाग (ग) और (घ):</u>

(i) उपभोक्ताओं को जीएसटी दरों में बदलाव का लाभ नहीं मिलने के बारे में कोई प्रश्न/शिकायतें होने पर उन्हें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर कॉल करने या एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) पोर्टल पर प्रश्न/शिकायतें दर्ज करने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए सीबीआईसी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तैयार किए गए थे और अपलोड किए गए थे।

(ii) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उठाए गए प्रश्नों या मुद्दों के उत्तरों का समन्वयन करने हेतु सीबीआईसी के नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज ऐसी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा रही है जिनके साथ दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं।

*****